

17. कानून व्यवस्था की स्थिति :-

जिला बून्दी में वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। आगामी समय में जिले की सम्भावित कानून व्यवस्था की स्थिति निम्नानुसार रहने की सम्भावना है।

1. साम्प्रदायिक स्थिति:-

जिला बून्दी के बून्दी शहर, कस्बा केशवराय पाटन, नैनवां, गोठड़ा, जमीतपुरा, रोठेदा, अलोद, बडौदिया इत्यादि स्थान साम्प्रदायिक दृष्टि से विगत वर्षों में संवेदनशील बने हुए हैं।

1 कस्बा के. पाटन:-

(1) केशवराय पाटन में वर्ष 2008 में कोटा जिले के कुन्हाडी थाना क्षेत्र में केशवराय पाटन निवासी दारा सिंह की हत्या के बाद कई बार तनाव के हालात बनें। लेकिन पुलिस इतेंजामात करते हुये साम्प्रदायिक तत्वों पर अंकुश लगाये रखा तथा दिनांक 28,29.8.09 की रात्रि को कस्बे में तेजादशमी, एकादशी आदि त्यौहारों के अवसर पर मक्कीशाह तिराहे पर लगाये गये स्वागत द्वार पर लगे हुए हनुमान जी के पोस्टर को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फाड़ने पर विरोध स्वरुप भीड़ एकत्रित होकर पुलिस व दरगाह पर पत्थरबाजी की। इस पर थानाधिकारी केशवराय पाटन मय जाब्ता व अतिरिक्त जाब्ले की सहायता से भीड़ को नियंत्रित कर 19 व्यक्तियों को मौके से 107,151 में गिरफ्तार कर शान्ति व्यवस्था स्थापित की, तथा पोस्टर फाड़ने की रिपोर्ट पर मुकदमा न. 305/09 धारा 295 आई.पी.सी में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया, व पत्थर बाजी कर तोड़फोड़ करने पर 20-22 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा संख्या 306/09 धारा 147,332,336,353,295 आई.पी.सी में दर्ज किया जाकर मुलजिमानों को गिरफ्तार किया जाकर पेश न्यायालय किये गये। वर्तमान में शान्ति है।

(2) दिनांक 25.9.09 को अदालत परिसर के अन्दर वकील श्री शेख उमर कुरेशी पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा किये गये फायर करने पर उक्त घटना को कस्बे में साम्प्रदायिक दृष्टि से देखा जा रहा है। निगरानी जारी है।

(3) दिनांक 30.11.09 को फजलू रहमान पुत्रा मकबूल कुरेशी मुसलमान नि. के.पाटन के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर गण्डासी, कुल्हाडी, लकड़ियों से जानलेवा हमला किया गया। इस पर मजरुब के भाई श्री रहीश पुत्रामकबूल कुरेशी द्वारा थाना के.पाटन पर 1. रणजीत पुत्रा रामपाल 2. रामसिंह पुत्रा रामपाल 3. धर्मा पुत्रा नारायण 4. नारायण पुत्रा श्रीराम 5. भवंर उर्फ भूरिया पुत्रा नन्दा 6. घनश्याम पुत्रा बजरंगा 7. गणेश पुत्रा नारायण 8. बनवारीलाल पुत्रा फून्दीलाल 9. महावीर पुत्रा रामरतन जाति गुजरान व 3-4 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इस पर थाना के.पाटन पर अभियोग संख्या 408/09 धारा 147,148,149,307,323 ता. हि. में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान मुल्जिम (1) धर्मा पुत्रा नारायण (2) गणेश पुत्रा नारायण (3) देवराज पुत्रा बजरंगा को गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष व्याप्त है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी दुकाने बंद कर रखी है, तथा उक्त घटना को पूर्व में दारा सिंह गुर्जर हत्या काण्ड के प्रतिशोध के रूप में मानकर रोष जाहिर किया जा रहा है। कस्बा के.पाटन में शांति व्यवस्था हेतु अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया हुआ है। निगरानी जारी है।

(2.) कस्बा नैनवा:-

(1) कस्बा नैनवा में बडे तालाब की पाल पर स्थित मजार के चारों तरफ लगे हुए सीमेन्ट के पिलर्स में से 4 पिलर्स को कोई अज्ञात व्यक्ति उखाड गया। इसकी सूचना मिलने पर उक्त पिलरों को तहसीलदार की उपस्थिति में नगरपालिका के द्वारा पूर्व स्थिति में वापस गढ़वा दिया गया। इस मामले को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया था। वर्तमान में शान्ति है।

(2) **कस्बा नैनवा** में दिनांक 26.3.2008 को तहसील वक्फ कमेटी नैनवा द्वारा उपखण्ड अधिकारी नैनवा को एक पत्रा प्रेषित कर नैनवा बस स्टैण्ड के पास स्थित बाबा मजार साहब की कास्त भूमि का सीमा ज्ञान करवाकर उक्त स्थान पर लगी हुई बोड़ियों व अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई। वर्तमान में शान्ति है।

(3.) **कस्बा जमीतपुरा**—इसी प्रकार दिनांक 9.9.08 को कस्बा जमीतपुरा में तेजाजी महाराज की झण्डी निकल रही थी। उसी समय रिकू एवं ऐजाज के बीच मामूली बात को लेकर आपस में झगड़ा होने के कारण दोनों पक्षों के 15—20 व्यक्ति आ गये व दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी से तेजाजी महाराज की यात्रा में शामिल लोगों के भी पत्थर लगे। इस कारण कस्बे में तनाव हो गया। इस घटना के क्रम में थाना तालेड़ा में मु.न. 333/08 धारा 147,148,149,336,307,323 आई.पी.सी एवं मु. न. 334/08 धारा 147,148,149,323,307 आई.पी.सी थाना तालेड़ा में दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया गया। दोनों समुदाय के 35 व्यक्तियों को धारा 151 सी.आर.पी.सी में गिरफ्तार किया गया। तथा दिनांक 18.2.09 को ग्राम जमीतपुरा में 40वें के मोहर्रम के दौरान छोटी सी बात को लेकर मामुली तनाव हो गया था जिसमें भी शांति समिति की मिटिंग लेकर क्षेत्रा में शांति स्थापित की गई।

(4.) **बून्दी शहर**—

(1) 13 जुलाई 2009 को बून्दी शहर में मालनमासी बालाजी के पास स्थित मैदान में दरेशाह बाबा की मजार की चार दीवारी को लेकर जो विवाद उत्पन्न हो गया था। जिस पर पुलिस व प्रशासन द्वारा सर्तकता पूर्वक समझाईश करने पर उन्होंने स्वतः ही चार दीवारी निर्माण को हटा दिया गया। वर्तमान में शान्ति है।

(2) राजकीय महाविद्यालय परिसर के कोने में स्थित सूली वाले बाबा की मजार के पास निर्माण को लेकर रमेश कुमार शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा जिला कलक्टर महोदय बून्दी को शिकायत कर कॉलेज परिसर के अन्दर मन्दिर स्थापना की मांग की हैं। वर्तमान में मजार के पास निर्माण कार्य बन्द है। शिकायती पत्रा के सम्बन्ध में जाँच जारी है। इन दोनो बिन्दुओं के कारण शहर की साम्प्रदायिक स्थिति पर कड़ी निगरानी की जा रही है।

(5.) **ग्राम गोठडा**— ग्राम गोठडा में ईदगाह व कब्रिस्तान के उपभोग में आने वाली भूमि पर श्री सूरजमल पारासर अपना हक जताते हुए उसे प्राप्त करना चाहता है। गत जनवरी 2009 में ए.डी.एम प्रशासन के न्यायालय से सूरजमल के पक्ष में आदेश पारित होने पर ईदूल फितर से पूर्व अपनी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक अधिकारी को निवेदन किया। ईदुलफितर के अवसर पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा आपसी समझाईश कर नमाज अदा करवाई गई। उक्त फैसले के विरुद्ध एस.डी.एम हिण्डोली द्वारा आर.ए.ए में अपील दायर करवाई गई। आर.ए.ए से उक्त आदेश पर स्टे ऑर्डर किया गया। निगरानी जारी है।

(6.) **ग्राम अलोद** :-

(1) ग्राम अलोद में तेजाजी का मेला स्थल व मुस्लिम मुसाफिरखाने के लिए जमीन को लेकर पूर्व में हिन्दू व मुस्लिम समाज के व्यक्तियों में विवाद हो गया था जो वर्तमान में शांत है।

(2) ग्राम अलोद में दिनांक 19.9.09 को नरेगा कार्य को लेकर सरपंच किशन लाल बैरागी व पूर्व उपसरपंच गफूर खॉ के बीच में हुई कहासुनी के कारण सरपंच किशन के पक्ष में हिन्दू समुदाय के व्यक्तियों व गफूर खॉ के पक्ष में उसके परिवार व अन्य मुस्लिम व्यक्तियों के मध्य कहासुनी हो जाने के कारण प्रशासन एवं दोनो समुदाय के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा समझाईश कर मामला शान्त किया गया। वर्तमान में शान्ति है।

(7.) **ग्रम बडोदिया :-** ग्रम बडोदिया में पूर्व में घांस भैरू की सवारी के दौरान मुस्लिम व हिन्दू समाज के मध्य विवाद हो गया था । जो वर्तमान में शांत है ।

(8.) **ग्रम रोटेदा:-** ग्रम रोटेदा में विगत वर्षों पूर्व डोलयात्रा एकादशी पर विमान निकालने को लेकर हिन्दू व मुस्लिम समाज के मध्य विवाद हो गया था । जो वर्तमान में शांत है ।

साम्प्रदायिक दृष्टि से बून्दी शहर, कस्बा नैनवा, के.पाटन, जमीतपुरा, रोटेदा, बडोदिया, अलोद एवं गोठडा आदि कस्बे सर्वेदनशील है। वर्तमान में जिले की साम्प्रदायिक स्थिति सामान्य है।

विभिन्न समस्याओं के कारण जिला बून्दी की कानून व्यवस्था पर पडने वाला प्रभाव:-

(1.) **विद्युत आपूर्ति व पेयजल की समस्या के क्रम में:-**

जिला बून्दी में विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल समस्या को लेकर जनता द्वारा धरने प्रदर्शन व आन्दोलन किये, घेराव आदि आन्दोलन किये गये है, दिनांक 30.9.09 को भी जिले के करीब 2000-2100 ग्रामीणों ने विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर कोटा में हुए महापड़ाव में भाग लिया। साथ ही बून्दी शहर में कोटा चम्बल से पेयजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा प्रतिदिन प्रदर्शन कर ज्ञापन आदि कार्यक्रम किये गये है, तथा आगामी समय में भी आन्दोलन किये जाने की सम्भावना है।

(2.) **विद्यालयों में शिक्षकों की कमी:-**

जिले के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के विरोध में छात्रों व ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन प्रदर्शन किये गये है, तथा वहां से गुजरने वाले मार्ग पर जाम किये जाने की घटनाएं भी घटित हुई है। आगामी समय में इस बात को लेकर छात्रों द्वारा सड़क जाम प्रदर्शन, ज्ञापन दिये जा सकते है।

(3.) **नहरी पानी की कमी:-**

जिला बून्दी में गत वर्ष नहरी पानी को टेल क्षेत्रा में पहुँचाने की मांग को लेकर चम्बल बाईं मुख्य नहर के टेल क्षेत्रा थाना गैण्डोली के ग्राम रिहाणा, छपरदा, देलून्दा, ख्यावदा, हणोतिया, आदि गांवों के किसानों द्वारा भाडोलिया पीपली खटकड-के.पाटन मार्ग पर क्रमिक अनशन एवं चक्का जाम आदि कार्यक्रम किये गये। इस वर्ष भी टेल क्षेत्रा के किसानों द्वारा पानी की मांग की जा रही है। विगत वर्षों में अभयपुरा बांध के पानी से सिचाई के मामले को लेकर ग्राम नीम का खेडा व गुढानाथावतान के व्यक्तियों में विवाद हो गया था।

(4.) **बून्दी जिले में स्थित अन्य बांधों भीमलत बांध, अभयपुरा, बरधा बांध व गुढा बांध से भी पलाव (रेलना) हेतु पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों द्वारा आन्दोलन किये गये व वर्तमान में भी पानी छोड़ने की मांग की जा रही है।**

(5.) **नरेगा:-**नरेगा श्रमिकों द्वारा भी समय पर भुगतान व पूर्ण भुगतान की मांग को लेकर आन्दोलन किये गये है।

(6.) **हाई कोर्ट बैंच आन्दोलन :-** हाडौती में हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना की मांग को लेकर हाडौती सम्भाग के वकिलों द्वारा करीब 3 माह से किये जा रहे आन्दोलन के समर्थन में जिला बून्दी शहर के वकिलों के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किये जा रहे है जो आन्दोलनरत है। वर्तमान में शान्ति व्यवस्था कायम है तथा स्थिति पर कड़ी निगरानी जारी है।

(7) कृषि उपज मण्डी बून्दी :- बून्दी शहर में स्थित कृषि उपज मण्डी के ग्राम कुवांरती में स्थानान्तरित किये जाने के विरोध में मण्डी व्यापारियों द्वारा गत दिनों विरोध प्रदर्शन किये गये है। निगरानी जारी है।